

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प स्थल महकलां

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

चिरंजी लाल पुत्र स्व० श्री भोलाराम जाति गूर्जर निवासी महकलां तहसील गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

i

1. मुकन्द पुत्र नानगा जाति रैगर निवासी चालीस क्वार्टरो के पीछे महकलां तहसील गंगापुर सिटी

2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 115/2012

वादी की ओर से चिरंजी लाल व प्रतिवादी की ओर से कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 11.7.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को अपना वाद विद डा करने एवं नविय मे नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 11.7.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4 _____ रूपये पर प्लीडर की फीस			
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			
6 कमिश्नर की फीस			
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	i

